न्यायालय भूमि सुधार उपसमाहर्ता बिरौल ,दरभंगा

राम सुदिष्ट राय वगैरह

वनाम

अमर नाथ राय वगैरह

वाद संख्यां 15/13-14

वाद का प्रकार - वेदखली

आदेश

15.11.2013 यह वाद बिहार भूमि विवाद निराकरण अधिनियम 2009 के तहत दायर किया गया है जिसमे प्रतिवादी पर वादी को प्रश्नगत भूमि से वेदखल करने का आरोप लगाया गया है.

प्रश्नगत भूमि का विवरण

मौजा हांसू

खाता	खेसरा	रकवा	चौहद्दी
192	765	0.05 डी०	उ०-संजय राम
	1153		द०-चंद्रकांत राम
	942		पू०-देवहर
	1356	0.66 डी०	प०-नदी
खाता	**खेसरा**	**रकवा**	**चौहद्दी**
192	943		उ०-भंभी राम
	1326	0.09 डी०	द०-चंद्रकांत राम
	919		पु०-आर०एस० राय
	920		आर० डी० राम
	1278	0.86 डी०	

प्रथम पक्ष का संक्षेप में कहना है कि आवेदक वादीगण प्रश्नगत भूमि के रैयत है जिनके पास स्वत्व, अधिकार एवं सरोकार है. इस वाद से पहले बिहार भूमि ट्रिब्यूनल नियमावली 2010 के तहत पटना में बी०एल०टी० वाद संख्यां 54/2013 चला जिसको इस अवलोकन के

साथ निस्तारित किया गया कि आवेदक बिहार भूमि निराकरण अधिनियम 2009 की धारा 4 (1) के तहत सक्षम प्राधिकार के पास आवेदन दें. वादीगण को प्रश्नगत भूमि का अत्यानामा उनके दादी द्वारा 1983 में किया गया तब से उक्त भूमि पर वादीगण का स्वत्व, अधिकार एवं दखल चला आ रहा है. प्रश्नगत भूमि पर वादीगण स्वत्व, अधिकार व दखल उस समय भी बरक़रार रहा जब 1986 में चुनु कान्त राय द्वारा लाया गया स्वत्व वाद टी० एस० संख्यां 36 सब जज दरभंगा द्वारा दिनांक 19.04.90 को पारित आदेश में ख़ारिज कर दिया गया. दिनांक 19.04.90 के पारित आदेश के विरुद्ध उक्त वाद के वादीगण द्वारा पुनः सब जज बेनीपुर के न्यायालय में अपील वाद संख्यां 14/1990 दायर किया गया जिसको भी दिनांक 28.04.1995 को ख़ारिज कर दिया गया. पुनः प्रतिवादीगण द्वारा पूर्व में पारित मूल आदेश एवं अपील को ख़ारिज करने के लिए बिहार काश्तकारी अधिनियम के धारा 106 के तहत बंदोबस्त पदाधिकारी, दरभंगा के न्यायालय में रिवीजन, वाद संख्यां 49/1996 दायर किया जिसमें दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद उक्त वाद ख़ारिज कर दिया गया. वादीगण 1993 द्वारा बंदोबस्त पदाधिकारी दरभंगा के न्यायालय में 106 बी०टी०एक्ट के तहत खतियान में सुधार के लिए वाद संख्यां 4664 दायर किया गया जिसपर बंदोबस्त पदाधिकारी द्वारा वादीगण के पक्ष में आदेश पारित करते हुए वादीगण का नाम खतियान में प्रविष्ट करने का आदेश पारित किया. अत्यानामा एवं न्यायालय का आदेश के आधार पर प्रश्नगत भूमि का दाखिल ख़ारिज वादीगण के पक्ष में करवाकर लगान रसीद वादीगण के नाम से निर्गत है. अचानक 2006 प्रतिवादीगण एवं बहुत सारे अन्य व्यक्तियों द्वारा प्रश्नगत भूमि पर जबरदस्ती कब्ज़ा कर लिया गया जिसका आवेदन सभी सम्बंधित पदाधिकारियों से लेकर आयुक्त महोदय तक दिया गया. प्रतिवादीगण द्वारा आपराधिक एवं धन वल का प्रयोग करते हुए एवं प्रखंड पदाधिकारी के मेल में प्रश्नगत भूमि का झूठा एवं नकली कागज तैयार कर दाखिल ख़ारिज करवा लिया एवं लगान रसीद प्राप्त किया. वादीगण द्वारा विभिन्न पदाधिकारियों को इस सम्बन्ध में आवेदन दिए परन्तु कहीं से कोई कारवाई नहीं किया गया. वादीगण के दखल को जबरदस्ती छिना गया है जिसके कारण वादीगण नुकसान झेल रहे हैं.

दूसरी तरफ प्रतिवादीगण का कहना है कि उक्त वाद प्रतिवादी संख्यां 2 के खिलाफ भी लाया गया है जिनकी मृत्यु हो चुकी है अतः यह वाद चलने योग्य नहीं है. प्रतिवादीगण का आगे कहना है कि आवेदक के आवेदन का अध्ययन करने से स्पष्ट होता है कि बहुत सारे वाद दायर किये गए जिनका फैसला इस तरफ या उस तरफ के पक्ष में हुआ परन्तु वादी इस बात का उल्लेख नहीं किया है कि वर्तमान में सर्वे अपील संख्यां 2/1998 दोनों पक्षों के बीच में सब जज प्रथम दरभंगा के न्यायालय में चल रहा है. जिसमे स्वत्व एवं अधिकार का प्रश्न सन्निहित है जिसपर न्याय निर्णय करना इस न्यायालय के अधिकार क्षेत्र से बाहर है अतः वाद को स्वीकार नहीं किया जा सकता है.

दोनों पक्षों के विज्ञ अधिवक्ताओं को सुना, अभिलेख एवं उपलब्ध कराये गए साक्ष्यों का अवलोकन किया. प्रथम पक्ष द्वारा प्रश्नगत भूमि पर अपने दावे के समर्थन में अत्यानामा, माननीय न्यायालय सब जज दरभंगा द्वारा पारित आदेश टी०एस० 36/86, 106 बी०टी० एक्ट आदेश, पुनिरिक्षण आदेश की छायाप्रति संलग्न की गई है. जबकि प्रतिवादीगण अपने प्रतिउत्तर में कहते है कि सर्वे अपील संख्यां 2/1998 माननीय सब जज प्रथम दरभंगा के न्यायालय में लंबित है. प्रतिवादी द्वारा माननीय सब जज प्रथम दरभंगा के न्यायालय में दायर वाद की प्रति संलग्न की गई है. अतः बिहार भूमि विवाद निराकरण अधिनियम, 2009 के धारा 10 के आलोक में वाद को ख़ारिज किया जाता है.

उपर्युक्त निष्कर्ष के साथ इस वाद को निस्तारित किया जाता है. उक्त आदेश से उभय पक्षों के विज्ञ अधिवक्ताओं को अवगत करा दे तथा आदेश की एक प्रति नोटिस बोर्ड पर चिपका दे.

लेखापित एवं संशोधित

15.11.13

भूमि सुधार उपसमाहर्ता,

बिरौल

15.11.13

भूमि सुधार उपसमाहर्ता,

बिरौल